परियोजना रिपोर्टों को पूर्ण कर लेने के बाद निधियां उपलब्ध हों ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष योजनाएं

641. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने राज्य में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक, एशियाई बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्र उन कार्यों के लिये सहायता प्रदान करता है जो तकनीकी, उत्प्रेरक और संवर्धक प्रकृति के होते हैं। बाढ़ रोकने और उनके बेहतर प्रबंध के लिये उपायों का पता लगाने के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1976–80) ने 207 सिफारिशें की हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अपने सचिवालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिये बाढ़ प्रबंध के वास्ते व्यापक मास्टर योजनायें तैयार की हैं । इसी प्रकार, वर्ष 1981 में स्थापित किये गये ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंध के लिये व्यापक मास्टर योजनायें तैयार की हैं । दीर्घावधि और अल्पावधि सिफारिशों सहित इन मास्टर योजनाओं को राज्य सरकारों के पास इस आग्रह के साथ भेज दिया गया है कि वे भूमि सर्वेक्षण, अन्वेषण करने तथा उनका क्रियान्वयन शुरू करने के बाद विस्तृत योजनायें तैयार करें ।

(ङ) से (छ) बाढ़ प्रवण राज्यों में बहुद्देशीय बाढ़ प्रबंध योजनाओं के वित्त पोषण के लिये बाह्य सहायता के निवेदन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है । विशिष्ट योजनाओं और बाह्य सहायता के स्रोत का पता नहीं चला है ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना

642. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना के तहत किसी राष्ट्रीय जल परियोजना को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुमानित रूप से सिंचाई होने वाली कृषि भूमि के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर अनुमानित लागत कितनी आएगी ;

(घ) इस योजना का जिलावार कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (ङ) मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित 19 उप परियोजनाओं में से, 5 उप, परियोजनायें नामशः सकलदा, सेगवाल गगन, सोनखेडी तथा सुक्ता, क्रमशः धार, रगोन, खरगोन, बेतूल एवं खंडवा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में हैं । उप-परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

	जिला	कृष्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	पूरा होने की तारीख	मध्यक्षिप्त
1	धार (जनजातीय क्षेत्र)	2,300	64	3/94	पूर्ण
2	खरगोन (जनजातीय क्षेत्र)	1,200	36	3/94	पूर्ण
3	बैतूल (जनजातीय क्षेत्र)	1,500	51	3/95	
4	पांधसेन	1,00	34	3/95	
5	देवास	2,700	50	3/95	
6	गुना	4,000	68	3/95	
7	शिवपुरी	3,600	105	3/95	
8	खंडवा (जनजातीय क्षेत्र)	2,600	94	3/95	
9	शाजापुर	17,600	377	6/96	
10	विदिशा	7,100	143	3/96	
11	रायसेन	3,200	90	3/96	
12	विदिशा एवं रायसेन	57,900	1772	6/96	
13	सागर	27,900	888	6/96	
14	मोरेना	13,500	418	6/96	
15	बिलासपुर	9,000	220	3/96	
16	राजनंदगांव	60,000	1664	3/96	
17	बालाघाट	12,000	262	6/96	
18	होशंगाबाद	4,100	126	6/96	
	कुल :	41,000	1330	6/96	
		272,800	7742		